

27/12/21 पत्रावली पेश हुई। वारी आवे उप
तारी आवे द्वारा संशोधित वाद शीर्षक
पेश किया गया। पत्रावली वास्तविक
हेतु प्रा एम 01 R10 स्वीकार किम जमे वाद
जुडे पत्रकार - प्रतिवादी संख्या 6 के जवाब
हेतु दिनांक 01/02/2022 को पेश हो।

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

17/01/2022 वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र

वास्तविक तलबों का पेश कर निवेदन
किंग में वादी व प्रतिवादी संख्या के बीच
लोक अदालत की भावना से व आपसी
समझौदा से राजीनामा हो जाने से वाद पर
आगे नहीं चलाना चाहते। अतः पत्रावली अख्त
ही तलब की जाने। वादी अधिवक्ता का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली
तलब की गई। वादी अधिवक्ता व वादी
स्वयम् उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की
ओर से अधिवक्ता रामगोपाल का व कालतनागा
पेश। उपस्थित पत्रकारान द्वारा एक प्रार्थना पत्र
वास्तविक राजस्व वाद को जारी है राजीनामा
विद्वां किम जाने हेतु पेश कर निवेदन किया
गे वादी व प्रतिवादी संख्या 1-4 के बीच
लोक अदालत की भावना से व आपसी
समझौदा से राजीनामा हो गया है व
राजीनाम के अनुसार नम्बर 860 में से

(Signature)
रामगोपाल

रूपालाल

(Signature)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

तारीख
हुय

हुय या कार्यवाही मय इतिहास अत्र

रमला 12 बीघा का आगे ले चान करना
तय किया है बिन्दु नं 1 की को उसके हिस्से की
बांछी मुक्त करनी तय हुई है व 12 बीघा मुक्त
ले चान पञ्चात ख न 860 व 859 मे प्राते
1 की को खानेगरी भूमे रहेगी उस पर काब
का आवेकार रहेगा। उपरोक्त अनुकर की
मतिवासीगण के विचार आगे काब नही
चलाना चाहते और ताता पुन. फेरा करने की
अनुमति के साथ जरिफ राजीनामा विद्रोह
चाहते हैं।



पत्रावली का अवलोकन किया गया। वही व
प्रतिवासी संख्या 1 द्वारा स्वतंत्र प्रमाण पत्र
रिफ राजीनामा विद्रोह किए जाने बाबत
पेरा कर विद्रोह हेतु निवेदन किया है।
लेखना ताबी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर पुनः काब पेरा करने की अनुमति
के साथ एक माम अल्लामण्ड पहनील व जेल
जबलपुर के संख्या नंबर 860 (49-12 बीघा)
व 859 (02 बिघा) के सम्बन्ध मे काब अन्तर्गत
धारा 88 व 188 रोज काश आवे की जरिफ
विद्रोह खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर एक जो
काब होकर दारिबल दफ्तर हो।

(Signature)
उपखण्ड अधिन *(Signature)* उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जोधपुर (मिर्जापुर)